RAEBARELI POLICE

दिनांक 22 जुलाई 2025 **थाना मिलएरिया**

झांसा देकर व कूटरचित तरीके से बैंक खाता खुलवाकार लोगों के साथ साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के 07 सदस्य गिरफ्तार-

अवगत कराना है कि दिनांक 21.07.2026 को वादी द्वारा थाना मिलएरिया पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि उसका पूर्व परिचित समीर पुत्र सोनू निवासी निराला नगर नया व्यवसाय प्रारंभ करने के नाम पर पैसों के लेन-देन हेतु उसके बैंक खाते का उपयोग करने की बात कहकर उसकी पासबुक, एटीएम कार्ड एवं रजिस्टर्ड सिम अपने कब्जे में ले गया। बाद में वादी को जानकारी हुई कि उसके बैंक खाते से उसकी जानकारी एवं अनुमति के बिना अनधिकृत वित्तीय लेन-देन किए गए हैं, जिसका उसने विरोध किया तो विपक्षी ने उसके साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मिलएरिया पर **मु0अ0सं0-200/2026 धारा 319(2)/318(4)/336(3)/340(2)/352/351(3) बीएनएस एवं धारा 66-सी, 66-डी आईटी एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं घटना के सफल अनावरण हेतु प्रसाय किया जा रहा था।

श्री रवि कुमार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में **श्री आलोक सिंह** अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली के नेतृत्व में व **श्री आशीष निगम** क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अन्तर्गत थाना मिलएरिया, साइबर थाना व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र अन्तर्गत उफरामऊ स्थित प्राइमरी स्कूल के पास से आज दिनांक 22 जुलाई 2026 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित/प्रकाश में आये अभियुक्तगण **1.समीर वाल्मिकी पुत्र सोनू वाल्मिकी निवासी नयापुरवा निराला नगर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली 2.शिवांक मिश्रा उर्फ शिवा पुत्र विजय कुमार मिश्रा निवासी फिरोज गांधी कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली 3.रितिक कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी बड़ा घोसियाना थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली 4.लकी सिंह पुत्र शिवकरन सिंह निवासी बहादुरनगर थाना चन्दापुर जनपद रायबरेली 5.रणविजय सिंह पुत्र शशेन्द्र सिंह निवासी भवानीपुर थाना हरचन्दपुर जनपद रायबरेली 6. वैभव श्रीवास्तव उर्फ सनी पुत्र रवीन्द्र श्रीवास्तव निवासी नई कॉलोनी अतरौली थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ 7.अभिषेक पुत्र महावीर प्रसाद निवासी तेलीबाग थाना पीजीआई जनपद लखनऊ** को **तकनीकी सहयोग से** साइबर फ्रॉड का पैसा व कूटरचित कागजातों के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है तथा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा-338 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

अपराध का तरीका/पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे भोले-भाले एवं कम जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को धन कमाने एवं नए व्यवसाय में लाभ दिलाने का झांसा देकर अपने प्रभाव में लेते थे। इसके उपरांत वे उनसे उनकी पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड तथा बैंक खाते से संबद्ध रजिस्टर्ड मोबाइल सिम प्राप्त कर लेते थे। अभियुक्त लोगों को यह विश्वास दिलाते थे कि उनके बैंक खातों में ऑनलाइन गेमिंग अथवा अन्य वैध माध्यमों से अर्जित धनराशि प्राप्त होगी, जबकि वास्तविकता में वे उक्त बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त अवैध धनराशि के लेन-देन एवं उसके हस्तांतरण के लिए करते थे, जिससे साइबर अपराधों से प्राप्त धन को विभिन्न खातों के माध्यम से स्थानांतरित कर उसकी वास्तविक स्रोत को छिपाया जा सके।

नाम पता अभियुक्तगण:-

1.समीर वाल्मिकी पुत्र सोनू वाल्मिकी निवासी नयापुरवा निराला नगर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली

2.शिवांक मिश्रा उर्फ शिवा पुत्र विजय कुमार मिश्रा निवासी फिरोज गांधी कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली

3.रितिक कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी बड़ा घोसियाना थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली

4.लकी सिंह पुत्र शिवकरन सिंह निवासी बहादुरनगर थाना चन्दापुर जनपद रायबरेली

5.रणविजय सिंह पुत्र शशेन्द्र सिंह निवासी भवानीपुर थाना हरचन्दपुर जनपद रायबरेली

6. वैभव श्रीवास्तव उर्फ सनी पुत्र रवीन्द्र श्रीवास्तव निवासी नई कॉलोनी अतरौली थाना मोहनलालगंज जनपद लखनऊ

7.अभिषेक पुत्र महावीर प्रसाद निवासी तेलीबाग थाना पीजीआई जनपद लखनऊ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवांक उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0-190/2025 धारा-305/317(2)/331(4) बीएनएस थाना डलमऊ जनपद रायबरेली
2. मु0अ0सं0-335/2025 धारा-305/317(2)/331(4) बीएनएस थाना डलमऊ जनपद रायबरेली
3. मु0अ0सं0-308/2023 धारा-323/504/506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली
4. मु0अ0सं0-114/2026 धारा-2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना डलमऊ जनपद रायबरेली

आपराधिक इतिहास अभियुक्त लकि उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0-0058/2025 धारा-351(3)/352 बीएनएस तथा धारा-3(1) घ एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली

बरामदगीः-

14,100/- रुपये नगद (फ्रॉड से संबंधित)	10 अदद एटीएम कार्ड
07 अदद फर्जी आधार कार्ड	04 अदद बैंक पासबुक
10 अदद मोबाईल	02 अदद चेकबुक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मिलएरिया, साइबर थाना व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम

मीडिया सेल रायबरेली